

**न्यायालय:-श्रीमती सपना भारती कतरौलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला
रतलाम,(म.प्र.)**

क्रमांक 20-A/26

रतलाम, दिनांक 25.03.2026

रिमांड ड्यूटी आदेश

इस आदेश द्वारा माह **अप्रैल 2026** के अवकाश के दिनों में रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिये अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 3:00 बजे से कार्य समाप्ति तक रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य (न्यायिक) सम्पन्न करेंगे:-

रतलाम:-

क.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ अप्रैल
1	सुश्री आकांक्षा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	26
2	श्री अरुण ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	3
3	सुश्री आकांक्षा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	4
4	श्री प्रवेश काबरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	5
5	श्री मंगल परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	12
6	सुश्री वैशाली चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	14
7	सुश्री रूपाली बिरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	19

जावरा:-

क.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ अप्रैल
1	श्री एन.एस. ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	26
2	श्री अरुणसिंह अलावा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	5
3	श्री अंकित भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	12
4	श्री दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	14
5	सुश्री नेहा सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	19
6	सुश्री शिवानी राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	3, 4

सैलाना:-

क. नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ अप्रैल
1 श्रीमती गार्गी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	12, 14
2 श्री मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	3, 4, 5
3 श्रीमती नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	19, 26

आलोट:-

क. नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ अप्रैल
1 श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	3, 4, 5
2 श्री गवेन्द्र सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	12, 14
3 श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	19, 26

किसी आकस्मिक परिस्थितियों में निम्न आवश्यक नोट अनुसार रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावे:-

- 1- उक्त शासकीय अवकाश के अतिरिक्त किसी अन्य कारणवश कोई अवकाश घोषित होता है तो, जिला न्यायालय, रतलाम में माह अप्रैल 2026 में श्री जितेन्द्र रावत व इनकी अनुपस्थिति में श्री मंगल परमार आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील जावरा में माह अप्रैल में श्री दीपक कनेरिया व इनकी अनुपस्थिति में सुश्री नेहासिंह परिहार आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील न्यायालय आलोट माह अप्रैल में श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी व इनकी अनुपस्थिति में श्री गवेन्द्र सिसोदिया आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील न्यायालय सैलाना में माह अप्रैल में श्रीमती नेहा सावनेर व इनकी अनुपस्थिति में श्री मोहित परसाई आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे।
- 2- रिमाण्ड ड्यूटी नियत होने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण होने की दशा में उस स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगे। यदि नवीन मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तब नियत रिमाण्ड ड्यूटी उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित की जायेगी।
- 3- किशोर/बाल अपचारी के संबंध में रिमाण्ड हेतु आदेश किशोर न्याय बोर्ड, रतलाम के द्वारा प्रदान दिया जावेगा।
- 4- रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने-अपने कर्तव्य पद पर उपस्थित रहेंगे।
- 5- यदि किसी अपरिहार्य एवं युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दर्शित तिथियों को आवश्यक न्यायालयीन कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ रहें तो वे अपने साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त दर्शित तिथि को

न्यायालयीन कार्य सम्पादन करने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम से पूर्व अनुमति लेने के उपरांत और लिखित सहमति प्राप्त कर संपादित करेंगे। ऐसी स्थिति में लिखित सहमति देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का दायित्व रहेगा कि वह इस तरह आपसी समायोजन से नियत दिनों को न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगे, ऐसे समायोजन अनुसार अवकाश के दिन आकस्मिक रिमाण्ड एवं आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादन करने के लिए अधिकृत माने जावेंगे।

- 6- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कंडिका कं. 1 में दर्शित सहमति प्राप्त करने से अन्यथा (जैसे आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य खराब होने/मेडिकल या अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने/क्वारेन्टाइन रहने) अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थता दर्शित की जाती है, तो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके चार्ज भारित न्यायालय को सूचना दिये जाने पर रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु अनुपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन किया जावेगा।

अनुमोदित

26.3.26

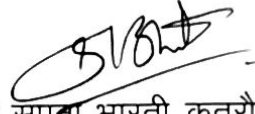
Principal District & Session Judge
Ratlam (M.P.)

816mt
26.3.26
(श्रीमती सपना भारती कतरौलिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला रतलाम

पृ. क्रमांक- ११/२६
प्रतिलिपि:-

रतलाम, दिनांक- २८.०३.२६

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् नजारत प्रभारी, रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण, रतलाम/सैलाना/आलोट/जावरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, रतलाम/सैलाना/आलोट/जावरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, रतलाम/सैलाना/आलोट/जावरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(श्रीमती सपना भारती कतरौलिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला रतलाम